संख्या– 1090 /VI/2006–5(33)2006

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग:

देहरादून दिनांक 07 नवम्बर, 2006

विषयः जिला योजना 2006–2007 के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेंट प्लान हेतु धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–235/2–6–215/2006–07, दिनांक 11 अगस्त, 2006 तथा पत्र संख्या–269/2–6–215/2006–07, दिनांक 02 सितम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना 2006–2007 के अधीन पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं के निम्नलिखित योजनाओं हेतु रू0 42.56 लाख के आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 36.81लाख (रूपये छत्तीस लाख इक्कासी हजार मात्र) के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू0 23.45 लाख की धनराशि को व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजना का नाम	मूल लागत	टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2006–07 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
	जनपद–उत्तरकाशी				
1	विकासखण्ड नौगांव के ग्राम खाण्ड में शिव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	1.00	0.96	0.96	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तरकाशी।
	जनपद–चमोली				
2	ग्राम पूर्णा का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास, विकास खण्ड–देवाल	41.56	35.85	22.49	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, चमोली।
	योग–	42.56	36.81	23.45	

(रूपया तेईस लाख पैंतालिस हजार मात्र)

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3–आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4–कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6–एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त योजनायें जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हों और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत ही हों।

8–कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।
9–कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना के भविष्य में अनुरक्षण की वचनबद्वता लिखित रूप में सम्बन्धित नगर पंचायत से लेने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। भविष्य में उक्त योजनाओं के अनुरक्षण हेतु कोई बजट नहीं दिया जायेगा।
10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।
11–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।
12–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।
13–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
14–जिन कार्यों पर द्वितीय किस्त अवमुक्त की जानी है, उनमें व अन्य योजनाओं में भी प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही दूसरी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
15–व्यय की स्वीकृति समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ से परिव्यय की पुष्टि के उपरान्त ही दी जायेगी।
16–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–2007 के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान–91–चालू निर्माण कार्य (जिला योजना)–24–वृहत् निर्माण कार्य के मद के नामें डाला जायेगा।
17–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1049/XXVII(2)/2006, दिनांक 02 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या– 1090 /VI /2006–5(33)2006, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3–आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4–जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, चमोली।
5–निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
6–निजी सचिव,मा0 पर्यटन मंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
7–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8–वित्त अनुभाग–2.
9–श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
10–अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
11–जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी, चमोली।
12–एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
13–गार्ड फाईल।

(4)

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।